भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1208
जिसका उत्तर गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल

1208 श्री जॉन ब्रिटास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने 'आईटीएटी ई-द्वार' नामक ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाने से आईटीएटी में लंबित मामलों में कमी आई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां । आयकर अपीलीय अधिकरण के ई-फाइलिंग पोर्टल को जिसे 'आई टी ए टी ई-द्वार' कहा गया है, 25.06.2021 को शुरु किया गया । जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(i) कोई व्यक्ति, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 253 या अन्य अधिनियमितियों के अधीन आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ के समक्ष अपीलों, प्रत्याक्षेपों, स्थगन प्रार्थनापत्रों और प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों को फाइल करने के हकदार हैं वे उपरोक्त ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से उसे इलेक्ट्रानिक रुप से फाइल कर सकेंगे ।

(ii) यह सुविधा आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष कक्षीकार को न्याय के लिए डिजिटल और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए शुरु की गई है ।

(iii) यह सुविधा वैकल्पिक है और आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 और अन्य संबंधित अधिनियमितियों के अनुसार कागजी प्ररुप में भौतिक अपील की प्रस्तुति जारी है ।

(ग) : कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरुप, वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के तरीके ने आयकर अपीलीय अधिकरण में सुनवाई के पारंपरिक तरीके को पूरक बनाया है । यह एक नया तकनीकी प्रयोग होने के वाबजूद महामारी की अवधि के दौरान मामलों के निपटान का एक सुरक्षित तरीका साबित हुआ है । 01.04.2020 और 01.07.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित मामले क्रमशः88,016 और 66,130 थे ।

****